

पत्र संख्या-विधि-1-(3) टेन्ट समाधान योजना (2016-17)//1617033// 1607 //वाणिज्य कर ।

कार्यालय कमिशनर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(विधि अनुभाग)

दिनांक:: लखनऊ:: 19 सितम्बर , 2016

समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर,

समस्त ज्वाइण्ट कमिशनर (कार्यपालक)

समस्त डिप्टी कमिशनर (कर निर्धारण)

समस्त असिस्टेन्ट कमिशनर (कर निर्धारण)

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश ।

विषय:- रुपये पचास लाख तक स्टाक रखने वाले टेन्ट व्यवसायियों द्वारा टेन्ट, कनात, मेज, कुर्सी, कालीन, दरी, चादर, गद्दा, रजाई, तकिया, बेड तथा सजावट के सामान के उपयोग के अधिकार के अन्तरण पर देय मूल्य संवर्धित कर के विकल्प में वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए समाधान योजना लागू किया जाना ।

शासन के पत्र संख्या- 1298/ग्यारह-2-2016-9(66)/ 2001 दिनांक 15-09-2016 द्वारा रुपये पचास लाख तक स्टाक रखने वाले टेन्ट व्यवसायियों द्वारा टेन्ट, कनात, मेज, कुर्सी, कालीन, दरी, चादर, गद्दा, रजाई, तकिया, बेड तथा सजावट के सामान के उपयोग के अधिकार के अन्तरण पर देय मूल्य संवर्धित कर के विकल्प में वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए समाधान योजना लागू किये जाने हेतु निर्देश प्राप्त हुये हैं जिसे इस पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है ।

2- शासन के निर्देश के अनुसार इस समाधान योजना के सम्बन्ध में प्रमुख तथ्य निम्नवत् हैं:-

(1) वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए शासन के उक्त निर्देश के प्रस्तर (क) के अनुसार निर्धारित समाधान राशि के जमा करने का ट्रेजरी चालान इस परिपत्र के निर्गत होने की तिथि के 45 दिन के अन्दर निर्धारित प्रारूप में विकल्प प्रार्थना पत्र (संलग्न-अनुलग्नक-1) एवं शपथ पत्र / अनुबन्ध पत्र (संलग्न-अनुलग्नक-2) के साथ कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा ।

(2) समाधान योजना के सम्बन्ध में शासन द्वारा उक्त पत्र के माध्यम से निर्धारित शर्तें यथावत् लागू होंगी ।

(3) समाधान योजना अपनाने वाले व्यापारियों के सम्बन्ध में विवरण प्रारूप-1(निम्नलिखित) में तथा समाधान योजना से बाहर रहने वाले व्यापारियों के सम्बन्ध में विवरण प्रारूप-2(निम्नलिखित) में दिनांक 26-09-2016 तक जोनल एडीशनल कमिशनर द्वारा मुख्यालय उपलब्ध कराया जायेगा तथा पुनः उक्त प्रारूप में विवरण दिनांक 21-10-2016 तक मुख्यालय उपलब्ध कराया जायेगा ।

समाधान योजना अपनाने वाले टेन्ट व्यासइयों के सम्बन्ध में विवरण-प्रारूप-1

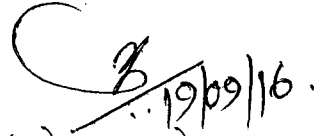
वर्ष	स्टाक का स्लैब	व्यापारियों की संख्या	प्रति व्यापारी देय समाधान राशि (रु० में)	कालम 3 में अंकित सभी व्यापारियों द्वारा कुल जमा समाधान राशि (रु० में)	ब्याज, यदि देय व जमा हो (रु० में)	कुल जमा धनराशि (कालम-5+6) (रु० में)
1	2	3	4	5	6	7
2016-17	रु० एक लाख से पाँच लाख रु० तक के स्ट्राक के लिए					
	रु० पाँच लाख से दस लाख रु० तक के स्ट्राक के लिए					
	रु० दस लाख से रु० पन्द्रह लाख तक के स्ट्राक के लिए					
	रु० पन्द्रह लाख से पच्चीस लाख रु० तक के स्ट्राक के लिए					
	रु० पच्चीस लाख से चालीस लाख रु० तक के स्ट्राक के लिए					
	चालीस लाख रु० से 50 लाख रुपये तक स्ट्राक के लिए					
	योग					

समाधान योजना से बाहर रहने वाले टेन्ट व्यासइयों के सम्बन्ध में विवरण-प्रारूप-2

वर्ष	व्यापारियों की संख्या	व्यापारीवार घोषित स्ट्राक (रु० में)	कर विवरणी के अनुसार माल के उपयोग के अधिकार के अन्तरण पर जमा मूल्य संवर्धित कर (रु० में)	अस्थाई / अन्तिम कर निर्धारण आदेश द्वारा आरोपित मूल्य संवर्धित कर (रु० में)	अस्थाई / अन्तिम कर निर्धारण आदेश के फलस्वरूप जमा मूल्य संवर्धित कर (रु० में)	बकाया कर (रु० में)	कुल जमा कर (रु० में) (कालम 4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
2016-17							

कृपया शासन के निर्देशानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। इस समाधान योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये तथा शासन के निर्देश से व्यापारिक संगठनों एवं अधिवक्ता संघों को अवगत कराते हुये इस योजना की सफलता के लिए हर सम्भव प्रयास किये जायें।

- संलग्नक : 1-समाधान प्रार्थना पत्र का प्रारूप (अनुलग्नक-1)
 2-शपथ पत्र / अनुबन्ध पत्र का प्रारूप (अनुलग्नक-2)
 3-शासन का उक्त निर्देश ।


 (मुकेश कुमार मेश्राम)
 कमिशनर, वाणिज्य कर,
 उत्तर प्रदेश ।

पृ०५०सं० एवं दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1- प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय, लखनऊ।
- 2- निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ।
- 3- संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ (दो प्रतियों में)
- 4- अध्यक्ष/निबन्धक उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, वाणिज्य कर, उ०प्र०
- 5-समस्त एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1/ ग्रेड-2, वाणिज्य कर , उ०प्र० मुख्यालय लखनऊ ।
- 6-एडीशनल कमिशनर, ग्रेड-2 (वि०अनु०शा०/ अपील), वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश ।
- 7-समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यपालक) / (वि०अनु०शा०/अपील/कारपोरेट) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
- 8- समस्त डिप्टी कमि० / असिस्टेन्ट कमिशनर / वाणिज्य कर अधिकरी (क०नि०/वि०अनु०शा०/स०व०) उ०प्र० ।
- 9- अपर निदेशक संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ ।
- 10- महालेखाकार, 171ए अशोक नगर, इलाहाबाद ।
- 11- वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, सतर्कता अधिष्ठान, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ।
- 12-प्रबन्धक, इसेटिव, पिकप, राणाप्रताप मार्ग लखनऊ ।
- 13- समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
- 14- सीनियर डिप्टी एकाउन्टेन्ट जनरल, रेवेन्यू आडिट विंग, स्टेट आफिस आफ द ए०जी०आडिट 11, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
- 15- विकास आयुक्त, नोयडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग ज़ोन, सेक्टर 10 नोयडा ।
- 16- एडीशनल कमिशनर ग्रेड-2 / ज्वाइन्ट कमिशनर/डिप्टी कमि०/असिस्टेन्ट कमिशनर, (सर्वोच्च न्यायालय, कार्य) गाजियाबाद ।
- 17- एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1 / ग्रेड-2 / ज्वाइन्ट कमिशनर / डिप्टी ० कमि० / असि० कमि० (उ०न्या०कार्य०) लखनऊ / इलाहाबाद।
- 18- मैअनुल अनुभागा/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः 5- 5 तथा 10 प्रतियाँ में ।
- 19- विधि अनुभाग मुख्यालय को 50 प्रतियाँ ।
- 20- समस्त अनुभाग अधिकारी , वाणिज्य कर, मुख्यालय ।
- 21- अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश टैक्स एडवोकेट वेल फेयर एसो० 185/293 अमीनाबाद रोड, गणेश गंज, लखनऊ ।
- 22- अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, सी 15 माल एवेन्यू, लखनऊ ।
- 23- श्री श्याम बिहारी मिश्र, उ० प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, 87/349 आर्या नगर, सगीत टाकिज के पीछे कानपुर ।

- 24- श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, कंछल कुँज, 66, शास्त्री नगर, लखनऊ।
- 25- श्री संदीप बंसल, सदस्य राज्य स्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति, 29बी विधायक निवास दारुलसफा लखनऊ।
- 26- मर्चेन्ट चेम्बर आफ कामर्स, 14/26 सिविल लाइन्स कानपुर।
- 27- एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डो 4/180 विशाल खण्ड पी0वी0-17 गोमती नगर लखनऊ।
- 28- पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डो 1 ए ला प्लास शाहनजफ रोड लखनऊ।
- 29- अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डो द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्डो ऐशबाग रोड, लखनऊ।
- 30- आल इन्डिया मैनुफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन डी-4 साइट संख्या 3 मेरठ रोड इण्डस्ट्रीयल एरिया गाजियाबाद।
- 31- कनफेडरेशन आफ इन्डियन इण्डो निराला नगर, लखनऊ।
- 32- राज्य स्तरीय सलाहकार समिति /सम्भागीय सलाहकार समितिके सदस्यों को सम्बंधित ज्वा0 कमि0 (कार्य0)के माध्यम से।
- 33- प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10इन्जीनियर्स काम्पलेक्स, सुल्तानपुर रोड, रायबरेली।
- 34- शिवकुमार अरोड़ा, एडवोकेट, महा सचिव, 30प्र0 टैक्स बार एसो0 जमुना बिहार, एस0एस0कालेज रोड, खतौली, मुजफ्फरनगर।
- 35- श्री मदन मोहन भरतीया एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण 30प्र0 शासन 26/103 बिरहाना रोड कानपुर।
- 36- प्रो0 डा0 सुरेन्द्र नाथ डीन फैकल्टी आफ ला बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस।
- 37- प्रो0 श्रीमती रंजना कक्कड़, 15 टैगोर टाउन इलाहाबाद।
- 38- डा0 छेदी लाल साथी, ए-5/1579 इन्द्रा नगर, लखनऊ।
- 39- श्री बी0एन0राय, एडवोकेट, अध्यक्ष, दि यू0पी0टैक्स बार एसो0 45 चन्द्रिका कालोनी, सिगरा वाराणसी।
- 40- श्री अशोक धवन सी के -24/ 1कुँजगली, चौक, वाराणसी।
- 41- श्री नेकी राम गर्ग, अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, 707, पंचशील कालोनी, महाबीर चौक, मु0नगर।
- 42- श्री पी0एस0जैन, 138 ए ब्लॉक ए सेक्टर 27 नोयडा।
- 43- श्री ब्रित चावला महा सचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी) 30प्र0ट्रक आपरेटर्स, फेडरेशन (रजि0), पुलदाल मण्डी सहारनपुर।
- 44- आर0डी0गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी, इलाहाबाद।
- 45- श्री संतोष कुमार (पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा0ज0पा0निवासी 60चाहचन्द इलाहाबाद।
- 46- श्री शैलेश मिश्रा, महामंत्री, लोहा व्यापार मंडल, उत्तर प्रदेश, 19 सुरेशबाग, कानपुर।
- 47- इन्डियन इण्डो एसो0, 159/ए -8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक, मु0नगर।
- 48- संयोजक, टैक्सेशियों एकैडमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो, वेस्टर्न यू0पी0, 52, नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड मेरठ।
- 49- टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टैक्स बार रुम जयपुर हाऊस, आगरा।
- 50- श्री मलिक विजय कपूर चेयरमैन कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को0प0 स्टेट लि0 51-बी उद्योग नगर कानपुर।
- 51- श्री अनिल कुमार बंसल दि यू0पी0रोलर फ्लोर मिलर्स एसो0 3-एक्स, गोखले मार्ग लखनऊ।
- 52- श्री दिनेश अरोरा 30प्र0 वनस्पति प्रोड्यूसर्स एसो0 51/58-ए शक्कर पट्टी कानपुर।
- 53- श्री नन्द लाल उपाध्यक्ष 30प्र0 टेन्ट व्यापार एसो0 565/566 राजेन्द्र नगर लखनऊ।

- 54- श्री हुलास राय सिंघल, प्रदेश अध्यक्ष, एफ-3, पार्क रोड, लखनऊ ।
- 55- श्री अरुण कुमार अवस्थी, प्रान्तीय संगठन मन्त्री, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल, (पंजी0-बी-29, विधायक निवास, दारुल शफा, लखनऊ)
- 56- श्री गोपाल अग्रवाल, राष्ट्रीय महामंत्री आल इण्डिया उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल, 27 ए मिशन कम्पाउन्ड मेरठ।
- 57- श्री दिनेश चन्द्र मिश्र, उपाध्यक्ष 30प्र0 कागज कापी व्यवसायी संघ, 6/6-ए, 30 बी0एन0रोड, अमीनाबाद लखनऊ। अध्यक्ष, इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन, विभूति खण्ड फेस 2 गोमती नगर लखनऊ ।
- 58- वैट लॉ जनरल 10 नगर निगम कम्पाउन्ड, कैसर गंज रोड मेरठ ।
- 59- वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल मण्डल कैम्प कार्या0 इमलीवलानोटरा सादाबाद गेट, हाथरस
- 60- सर्वश्री दि किराना मर्चेन्ट्स एसोसिएशन, 67/116 सेवा समिति भवन, केनाल रोड, कानपुर ।
- 61- श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश टैक्सवार एसोसिएशन, सीताराम, आजमगढ़ (30प्र0)
- 62- श्री रमेश केसरवानी (प्रदेश सचिव) जिलाध्यक्ष, 30प्र0 उद्योग व्यापार मण्डल-22/26 आशादेवी मार्केट, खोया मण्डी इलाहाबाद ।
- 63- श्री मनोज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी उद्योग व्यापार मण्डल, सुभाषनगर, गली न0-6 गोपाल टॉकीज के पीछे बदायूँ ।
- 64- श्री मनीष शर्मा ला मैनेजमेन्ट हाउस, आगरा- 15/5 राजनगर, गाजियाबाद ।
- 65- श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिशिंग, आर0डी0सी0-51, राजनगर, गाजियाबाद ।
- 66- श्री बी0एन0शुक्ला, अध्यक्ष, यू0पी0 पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसिएशन, 103 बी प्रतिभा तीरथ एपार्टमेन्ट, 1 यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ।
- 67- श्री अमर नाथ मिश्र, महामंत्री, लखनऊ व्यापारी समन्वय समिति, 244/65 यहियागंज, लखनऊ ।
- 68- श्री रवि सन्दूजा, एडवोकेट, रवि एसोसिएट्स, डी-194, सेक्टर-10, नोएडा, गौतमबुद्धनगर यू0पी0 ।
- 69- श्री अरविन्द कालरा, सदस्य वैट एडवाइजरी कमेटी, उत्तराखण्ड ।
- 70- श्री आलोक कुमार गुप्ता, महासचिव, यू0पी0 पेपर मर्चेन्ट एसोसिएशन, एफ-43, सेक्टर-11, नोएडा ।
- 71- अध्यक्ष, राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (30प्र0) ।
अध्यक्ष, यू0पी0 मोटर ट्रान्सपोर्टर्स एसोसिएशन (रजि0), 133/296 ए, ट्रान्सपोर्टभवन, ट्रान्सपोर्टनगर, कानपुर ।
- 72- शिव कुमार अरोड़ा अध्यक्ष, दि यू0पी0 टैक्स बार एसोसिएशन एस0एस0कालेज रोड जमुना बिहार खतौली मुजफ्फर नगर-251201
- 73- रमेश प्रसाद जायसवाल, महासचिव दी यू0पी0 टैक्स बार एसोसिएशन एस-5/45, अर्दली बाजार, वाराणसी यू0पी0-22100
- 74- श्री अशोक कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष/ कोर्डिनेटर उत्तर प्रदेश कर अधिवक्ता संगठन, 7, देवेन्द्र पुरी कालोनी बांस मंडी, लखनऊ ।
- 75- श्री वीरेन्द्र नाथ गुप्ता, सचिव, एसोसिएट चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री ऑफ यू0पी0 अलकनंदा इन्क्लेव, लौलाई, इन्दिरा कैनाल रोड, सिकन्दरपुर खुर्द, निकट साई फार्म, चिनहट, लखनऊ-226028


(विवेक कुमार)

एडीशनल कमिशनर (विधि) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।

अनुलग्नक-1

उत्तर प्रदेश के टेन्ट व्यवसाइयों द्वारा टेन्ट, कनात, मेज, कुर्सी, कालीन, दरी, चादर, गद्दा, रजाई, तकिया, बेड तथा सजावट के सामान के प्रयोग के अधिकार के अन्तरण पर देय मूल्य संवर्धित कर के विकल्प में उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम-2008 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए समाधान हेतु प्रार्थना -पत्र सेवा में,

कर निर्धारक अधिकारी

खण्ड / मण्डल / उपमण्डल -----

महोदय,

मैं, फर्म सर्वश्री ----- जिसका मुख्यालय ----- पर स्थित है तथा जिसे उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा 17 में पंजीयन प्राधिकारी खण्ड ----- द्वारा पंजीयन प्रमाण-पत्र संख्या (टिन) ----- दिनांक ----- से प्रभावी जारी किया गया है, का स्वामी/साझीदार/----- हूँ। मैंने टेन्ट, कनात, मेज, कुर्सी, कालीन, दरी, चादर, गद्दा, रजाई, तकिया, बेड तथा सजावट के सामान की वर्ष ----- में किये गये माल के प्रयोग के अधिकार के अन्तरण से प्राप्त धनराशि पर देय मूल्य संवर्धित कर के विकल्प में एकमुश्त राशि स्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी निर्देशों को स्वयं पढ़ लिया है अथवा पूर्णरूप से सुन लिया है और भली भाँति समझ लिया है। उस निर्देश की सभी शर्तें मुझे मान्य हैं। उन्हीं के अधीन मैं यह प्रार्थना पत्र उक्त फर्म की ओर से प्रस्तुत कर रहा हूँ।

मैं उक्त फर्म द्वारा टेन्ट, कनात, मेज, कुर्सी, कालीन, दरी, चादर, गद्दा, रजाई, तकिया, बेड तथा सजावट के सामान की उक्त अवधि में किये गये माल के प्रयोग के अधिकार के अन्तरण से प्राप्त धनराशि पर देय मूल्य संवर्धित कर के स्थान पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम-2008 के उपबन्धों के अधीन समाधान हेतु एकमुश्त धनराशि संलग्न शपथ पत्र / अनुबन्ध पत्र के अनुसार रुपया ----- स्वीकार किये जाने का निवेदन करता हूँ। उक्त धनराशि रुपया ----- तथा नियमानुसार उस पर 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज रुपये ----- अर्थात् कुल रुपये ----- ट्रेजरी चालान संख्या ----- दिनांक ----- द्वारा जमा कर दिया है जिसकी प्रति संलग्न है। यह भी घोषणा करता हूँ कि किसी कारण से मेरा यह निवेदन वापस या निष्प्रभावी नहीं होगा।

दिनांक ----- को मेरे यहाँ स्टॉक निम्नवत् था :-

क्रम	माल का विवरण	संख्या	अनुमानित मूल्य	अन्य विवरण
सं०	(साइज के अनुसार अलग-अलग)			
1				
2				
3				
	योग (कुल स्टॉक का कुल मूल्य रुपये में)			

मेरी उपर्युक्त फर्म द्वारा अन्य कोई व्यापार नहीं किया गया है। मेरी फर्म द्वारा उपर्युक्त माल के प्रयोग के अधिकार के हस्तान्तरण के अतिरिक्त भी व्यापार किया जाता है। ऐसे अन्य व्यापार के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम-2008 के प्राविधानों के अन्तर्गत कर विवरणी (रिटर्न) प्रस्तुत करने, जमा करने, कर निर्धारण करने की नियमित कार्यवाही कराऊँगी। भविष्य में अन्य व्यापार प्रारम्भ करने की स्थिति में भी यही प्राविधान मान्य होगा।

दिनांक -----

संलग्नक:- ट्रेजरी चालान व शपथ पत्र / अनुबन्ध पत्र

हस्ताक्षर -----

पूरा नाम -----

प्रास्थिति -----

फर्म का नाम व पता-----

ई-मेल -----

मोबाइल नं०-----

प्रमाणीकरण

इस प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। यह फर्म -----
----- के स्वामी / साझीदार / ----- है तथा इस प्रार्थना-पत्र पर
उन्होंने मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये हैं।

प्रमाणीकरण करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर -----

पूरा नाम व पूरा पता-----

अनुलग्नक-2

समाधान योजना अपनाने वाले टेन्ट व्यावसायियों के सम्बन्ध में शपथ पत्र / अनुबन्ध पत्र

समक्ष कर निर्धारक अधिकारी

खण्ड/मण्डल -----

मैं ----- पुत्र श्री ----- आयु ----- वर्ष स्थायी निवासी -----

----- (पूरा पता) शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि :-

1-मैं, फर्म सर्वश्री -----

का स्वामी / साझीदार / ----- हूँ तथा यह शपथ-पत्र अपनी उपरोक्त फर्म की ओर से दे रहा हूँ।

2-मेरे फर्म के मुख्यालय तथा शाखाओं के विवरण निम्नवत् है :-

पूरा पता :- 1. मुख्यालय	वस्तुएँ जो किराये पर दी जाती हैं।
2 शाखाएं (अ)	
(ब)	
(स)	

इसके अतिरिक्त प्रदेश में मेरी फर्म की कोई अन्य शाखा नहीं है।

3- प्रयोगशुदा टेन्ट, कनात, मेज, कुर्सी, कालीन, दरी, चादर, गद्दा, रजाई, तकिया, बेड तथा सजावट के सामान-के प्रयोग के अधिकार के अन्तरण पर देय मूल्य संवर्धित कर के विकल्प में उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम-2008 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन समाधान हेतु एकमुश्त धनराशि स्वीकार करने से संबंधित शासन के निर्देश तथा उसमें अंकित सभी शर्तों तथा कमिशनर, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश द्वारा दिये गये आदेशों एवं प्रतिबन्धों की पूरी-पूरी एवं सही जानकारी मुझे तथा मेरी फर्म में हितबद्ध अन्य व्यक्तियों को हो चुकी है तथा योजना से सम्बन्धित सभी निर्देश, शर्तें, व आदेश, प्रतिबन्ध मुझे तथा मेरी फर्म में हितबद्ध अन्य व्यक्तियों को मान्य है और सदा रहेंगे।

4- मेरी उक्त फर्म के अपने निजी टेन्ट, कनात, मेज, कुर्सी, कालीन, दरी, चादर, गद्दा, रजाई, तकिया, बेड तथा सजावट के सामान का दिनांक 01 अप्रैल (वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए) को निम्नलिखित विवरण के अनुसार माल स्टॉक में था / है :-

क्रम	माल का विवरण	संख्या	अनुमानित मूल्य	अन्य विवरण
सं0	(साइज के अनुसार अलग-अलग)			
1				
2				
3				
4				
	योग (कुल स्टॉक का कुल मूल्य रुपये में)			

(आवश्यकतानुसार अलग संलग्नक का प्रयोग किया जा सकता है)

5- प्रस्तर-4 में अंकित स्टॉक, मात्रा, मूल्य तथा तालिका में अंकित धनराशि का कुल योग, दिनांक को रुपया था, जिसके अनुसार समाधान राशि रुपये -----मेरी फर्म / हमारी फर्म द्वारा देय होगी।

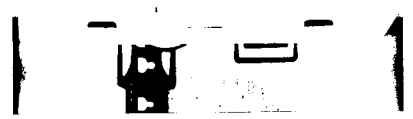
6- यदि वित्तीय वर्ष ----- के लिए मेरा समाधान राशि का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है तब मेरी फर्म इस शपथ पत्र / अनुबन्ध में दी गयी शर्तों का अनुपालन करने, शासन द्वारा दिये गये निर्देशों तथा कमिशनर वाणिज्य कर द्वारा लगाई गई शर्तों / प्रतिबन्धों में दिये गये आदेशों का पालन करने तथा अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए बाध्य होगी। शासन / कमिशनर द्वारा दिये गये निर्देशों, लगाये गये प्रतिबन्धों और निर्धारित शर्तों का अनुपालन न किये जाने की दशा में उत्तर प्रदेश सरकार तथा उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर विभाग मेरी फर्म के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाहियाँ कर सकेगा।

संलग्नक: उपरोक्त।

हस्ताक्षर-----

पूरा पता -----

प्रास्थिति -----



घोषणा

यह कि मैं -----उपरोक्त घोषणा करता हूँ कि शपथ पत्र/अनुबन्ध के प्रस्तर-1 से 6 में अंकित विवरण मेरी जानकारी और विश्वास में पूर्ण तथा सत्य है और कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। यह भी घोषणा करता हूँ कि इस शपथ पत्र /अनुबन्ध पत्र तथा इसके संलग्नक में निर्धारित प्रतिबन्ध में, शर्तों और निर्देशों में तथा मेरी फर्म में हितबद्ध अन्य सभी व्यक्ति आबद्ध रहेंगे।

साक्षी के हस्ताक्षर -----

हस्ताक्षर -----

नाम एवं पता -----

नाम -----

तिथि एवं स्थान -----

प्रास्थिति -----

संख्या- 1298 / ग्यारह-2-2016-9(66) / 2001

प्रेषक,

बीरेश कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कमिशनर, वाणिज्यकर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 15 सितम्बर, 2016

विषय: रुपये 50 लाख तक स्टॉक रखने वाले टेंट व्यवसायियों द्वारा टेंट, कनात, मेज, कुर्सी, कालीन, दरी, चादर, गद्दा, रजाई, तकिया, बेड तथा सजावट के सामान के उपयोग के अधिकार के अन्तरण पर देय मूल्य संवर्धित कर के विकल्प में समाधान योजना लागू किया जाना।

महोदय,

Imp.
सी.डी. कमि.
(Law)

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 की अवधि के लिये रुपये 50 लाख तक स्टॉक रखने वाले टेंट व्यवसायियों द्वारा टेंट, कनात, मेज, कुर्सी, कालीन, दरी, चादर, गद्दा, रजाई, तकिया, बेड तथा सजावट के सामान के उपयोग के अधिकार के अन्तरण पर देय मूल्य संवर्धित कर के विकल्प में समाधान योजना लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस सम्बन्ध में शासन के निर्देश इस पत्र के साथ संलग्न हैं। समाधान सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र/शपथ पत्र का प्रारूप कमिशनर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किया जायेगा।

कमिशनर
15.09.2016

Central Govt/
Service Tax
Department

अतः अनुरोध है कि कृपया शासन के उक्त निर्णय के अनुरूप कार्यवाही करने का कष्ट करें तथा योजना का व्यापक प्रचार व प्रसार करने एवं योजना के अन्तर्गत प्राप्त राजस्व के आंकड़े भी यथासमय शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

से सूची

लेकर वाणिज्य कर

विभाग पंजीयन/समाधान
योजना में Tent/Pandal वालों-
को Cover कराये।

J.C. (वि.व.)

16.9.16
185
19.9.16

भवदीय,

14/9/16
(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव
जो (Imp.)
J.C. (V)

2335
16-9-2016

255(V)
16.9.16

रूपये 50 लाख तक स्टॉक रखने वाले टेंट व्यवसायियों द्वारा टेंट, कनात, मेज, कुर्सी, कालीन, दरी, चादर, गद्दा, रजाई, तकिया, बेड तथा सजावट के सामान के उपयोग के अधिकार के अन्तरण पर देय मूल्य संवर्धित कर के विकल्प में समाधान योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में शासन के निर्देश।

रूपये 50 लाख तक स्टॉक रखने वाले टेंट व्यवसायियों द्वारा टेंट, कनात, मेज, कुर्सी, कालीन, दरी, चादर, गद्दा, रजाई, तकिया, बेड तथा सजावट के सामान के उपयोग के अधिकार के अन्तरण पर देय कर के विकल्प में उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा 6 के अन्तर्गत समाधान योजना कर निर्धारक अधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकार की जा सकती है :-

(क) वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिये स्लैबवार समाधान राशि निम्नवत् होगी :-

(घनराशि रूपये में)

वित्तीय वर्ष	रु० एक लाख तक के स्टॉक के व्यवसायियों के लिए नियत समाधान राशि	रु० एक लाख से अधिक तथा रु० पॉंच लाख तक के स्टॉक के व्यवसायियों के लिए नियत समाधान राशि	रु० पॉंच लाख से अधिक तथा रु० दस लाख तक के स्टॉक के व्यवसायियों के लिए नियत समाधान राशि	रु० दस लाख से अधिक तथा रु० पन्द्रह लाख तक के स्टॉक के व्यवसायियों के लिए नियत समाधान राशि	रु० पन्द्रह लाख से अधिक तथा रु० पच्चीस लाख तक के स्टॉक के व्यवसायियों के लिए नियत समाधान राशि	रु० पच्चीस लाख से अधिक तथा रु० चालीस लाख तक के स्टॉक के व्यवसायियों के लिए नियत समाधान राशि	रु० चालीस लाख से अधिक तथा रु० पचास लाख तक के स्टॉक के व्यवसायियों के लिए नियत समाधान राशि
2016-17	शून्य	14,400.00	45,500.00	76,300.00	2,01,600.00	3,25,500.00	4,07,000.00

(ख) इस समाधान योजना में व्यवसायियों द्वारा टेंट, कनात, मेज, कुर्सी, कालीन, दरी, चादर, गद्दा, रजाई, तकिया, बेड तथा सजावट के सामान सम्मिलित हैं। अतः उक्त सभी वस्तुओं को स्टॉक में शामिल करते हुए समाधान राशि की गणना की जायेगी।

(ग) उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अधीन देय कर के विकल्प में समाधान योजना के अन्तर्गत विकल्प देने वाले टेंट व्यवसायियों द्वारा कमिश्नर, वाणिज्यकर, उ०प्र० द्वारा इस योजना को निर्गत किये जाने की तिथि के 45 दिन के अन्दर निर्धारित प्रारूप में विकल्प प्रार्थना-पत्र एवं शपथ पत्र निर्धारित समाधान राशि के जमा के ट्रेजरी चालान के साथ अपने

कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त अवधि समाप्त होने के पश्चात विशेष परिस्थितियों में कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को अगले 60 दिन की अतिरिक्त अवधि बढ़ाने का अधिकार होगा, लेकिन इस बढ़ायी गयी अतिरिक्त अवधि के लिये 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा।

- (घ) समाधान योजना अपनाने वाले व्यवसायों द्वारा समाधान योजना की अवधि में न तो कर वसूल किया जायेगा और न ही टैक्स इन्वायस जारी किया जायेगा तथा ऐसे व्यवसायों को किसी प्रकार की आईटी0सी0 की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।
- (च) यह योजना केवल टेन्ट व्यवसायों द्वारा टेन्ट, कनात, मेज, कुर्सी, कालीन, दरी, चादर, गद्दा, रजाई, तकिया, बेड तथा सजावट के सामान के उपयोग के अधिकार के अन्तरण पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत देयकर के विकल्प के लिए ही अनुमन्य होगी तथा यदि किसी टेन्ट व्यवसायी द्वारा इन वस्तुओं की खरीद अथवा बिक्री की जाती है अथवा अन्य वस्तुओं की खरीद अथवा बिक्री की जाती है तो ऐसी खरीद अथवा बिक्री पर नियमानुसार उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत कर का दायित्व होगा।
- (छ) वित्तीय वर्ष 2016-17 में किसी व्यवसायी द्वारा समाधान राशि से अधिक की धनराशि नक्शा/रूपपत्र-24 के साथ स्वीकृत कर के रूप में जमा की गई है तो ऐसी अधिक धनराशि वापसी योग्य नहीं होगी।
- (ज) समाधान योजना के प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी जाँच के लिए स्वतंत्र होंगे। ऐसी जाँच के समय टेन्ट व्यवसायों एवं उनके किसी प्रतिनिधि अथवा किसी कर्मचारी द्वारा जाँच कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं किया जायेगा और जाँच कार्य में पूर्ण सहयोग प्रदान किया जायेगा। जाँच में व्यवधान उत्पन्न करने अथवा असहयोग करने की स्थिति में प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में विपरीत निष्कर्ष निकाला जायेगा। ऐसा होने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जा सकता है तथा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत अन्य विधिक कार्यवाही की जा सकती है।
- (झ) जो व्यापारी समाधान योजना अपना लेंगे, उन्हें इस बात की अनुमति नहीं होगी कि वे समाधान योजना का विकल्प समाधान राशि की शासन द्वारा की गयी अग्रेतर वृद्धि की स्थिति के अतिरिक्त अन्य स्थितियों में वापस ले सकें।

- (ट) जो व्यापारी एक से अधिक जनपदों में कार्य करते हैं, वह अपने मुख्यालय की घोषणा सम्बन्धित मुख्यालय के कर निर्धारक अधिकारी को देंगे तथा अन्य जिलों के ऐसे वाणिज्य कर अधिकारियों, जिनके क्षेत्र में उनका उप-व्यापार स्थल स्थित है, को भी सूचित करेंगे। जिन व्यापारियों का मुख्यालय उत्तर प्रदेश के बाहर अथवा भारत वर्ष के बाहर हो तथा उनके द्वारा उत्तर प्रदेश के अन्दर भी विभिन्न जिलों में कार्य किया जाता हो, ऐसे व्यापारी उत्तर प्रदेश के अन्दर किसी एक कार्य स्थल को अपना प्रदेशीय मुख्यालय घोषित करेंगे।
- (ठ) समाधान राशि, उस पर देय ब्याज तथा अर्थदण्ड की वसूली उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के प्राविधानों के अन्तर्गत भू-राजस्व की बकाया के रूप में की जायेगी।
- (ड) विवादित बिन्दुओं पर कमिशनर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश का निर्णय अन्तिम होगा।
- (ढ) वर्ष के दौरान समाधान योजना शासन द्वारा कभी भी पुनरीक्षित की जा सकती है या वापस ली जा सकती है। ऐसी दशा में समानुपातिक रूप से समाधान राशि देय होगी।
- (ण) समाधान योजना अपनाने वाले व्यापारियों द्वारा समाधान योजना प्रारम्भ की प्रथम तिथि को अपना स्टॉक समाधान योजना के प्रार्थना पत्र के साथ घोषित किया जायेगा।
- (त) समाधान प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र / अनुबन्ध पत्र का प्रारूप कमिशनर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित किया जायेगा।


(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव।